आयोजनागत राज्य सेक्टर

संख्या-28/2015-1082 /चौदह-4-2015-532/2009टीसी-1

प्रेषक,

शहजादे लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक 22 जून, 2015

विषय- आर0आई0डी0एफ0-20 के अन्तर्गत उ0प्र0 के 18 जनपदों की वनावरण सम्बर्द्धन परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 174.42 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी उ0प्र0 के पत्र संख्या-पी-228/36-टी-114 (नाबार्ड) दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/ 2015/ बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्रीराज्यपाल आर0आई0डी0एफ0-20 के अन्तर्गत उ0प्र0 के 18 जनपदों की वनावरण सम्बर्द्धन परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 174.42 लाख (रूपये एक करोड़ चौहत्तर लाख बयालिस हजार मात्र) निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के सम्मुख अंकित धनराशि व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 हजार में)
पूँजी लेखा-	
4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	
01- वानिकी	
102-समाज तथा फार्म वानिकी	
12-वनावरण सम्बर्द्धन परियोजना (सी0सी0एल0 प्रणाली)	
24-वृहत निर्माण कार्य	**16000**
42-अन्य व्यय	**1442**
योग-	**17442**

(रू0 एक करोड़ चौहत्तर लाख बयालिस हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयीं मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाय।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग नाबार्ड की शर्तो तथा विभागीय निदेशों के आधीन नाबार्ड द्वारा स्वीकृत कार्यो पर ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में विचलन नही किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग नाबार्ड द्वारा अनुमोदित कार्यमदो के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन एवं नाबार्ड को उपलब्ध कराया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग के पश्चात उसकी प्रतिपूर्ति नाबार्ड से यथा शीघ्र प्राप्त की जायेगी।

6- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

7- इसके अतिरिक्त योजना के कियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/ बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30.03.2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1082(1)/चौदह-4-2015-532/2009 टीसी-। तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दि्वतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9- नियोजन अनुभाग-3
10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in